2025: CGHC: 50318–DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
दोषमुक्ति अपील क्रमांक 456 वर्ष 2010

छत्तीसगढ़ राज्य

----अपीलार्थी

विरुद्ध

1 – दीपक फबयानी, आत्मज श्री दलित राम, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी मांझापारा, कांकेर, थाना एवं जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

2 – उपेन्द्र सुरोजिया, आत्मज श्री चंद्रिका प्रसाद, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी केशकाल, थाना केशकाल, जिला बस्तर (छ.ग.)।

3 – विजय कुमार सोनी, आत्मज श्री लातेल राम, आयु लगभग 25 वर्ष, ठेलकाबोध, थाना एवं जिला कांकेर (छ.ग.)।

4 – भुवनेश्वर साहू (मृत एवं विलोपित), माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 06–01–2025 एवं 10–02–2025 के अनुसार।

5 – जयंत वल्याणी (मृत एवं विलोपित), माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 28–09–2012 के अनुसार।

6 – फैजू मोहम्मद @ फीजू (मृत एवं विलोपित), माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 28–09–2012 के अनुसार।

7 – मनोज साहू, आत्मज रामरतन साहू, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी संजय नगर, कांकेर, थाना एवं जिला कांकेर (छ.ग.)।

8 – लियाकत @ लिक्कू, आत्मज श्री अहमद अली, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी भंडारीपारा, कांकेर, थाना एवं जिला कांकेर (छ.ग.)।

----प्रत्यर्थीगण

राज्य/अपीलार्थी हेतु:	श्री शशांक ठाकुर, उप महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 हेतु:	सुश्री के. तृप्ति राव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 2 हेतु:	सुश्री भाविका कोटेचा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्र.3 एवं 8 हेतु:	श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 7 हेतु:	श्री राजकुमार पाली, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति
माननीय श्री बिभु दत्त गुरु, न्यायाधीश
बोर्ड पर निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा: रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति

09.10.2025

1. क्योंकि राज्य द्वारा दायर वर्तमान दोषमुक्ति अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त/प्रत्यर्थी क्रमांक 4 भुवनेश्वर साहू, क्रमांक 5 जयंत वल्याणी और क्रमांक 6 फैजू मोहम्मद @ फीजू की मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम पहले ही विलोपित किए जा चुके हैं, अतः वर्तमान अपील पर केवल अभियुक्त/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 दीपक फबयानी, क्रमांक 2 उपेन्द्र सुरोजिया, क्रमांक 3 विजय कुमार सोनी, क्रमांक 7 मनोज साहू और क्रमांक 8 लियाकत @ लिक्कू के संबंध में विचार किया जा रहा है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (1) के अंतर्गत यह दोषमुक्ति अपील राज्य/अपीलार्थी द्वारा विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कांकेर (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 69/1998 में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2003 की वैधानिकता, वैधता और औचित्य को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120–बी सहपठित धारा 302, 404 सहपठित धारा 34 और 201 के तहत दंडनीय आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया है कि अभियोजन अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अभियोजन की कहानी का आरोप पत्र में अपेक्षित विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। पुलिस कथनों और मामले के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर, अभियोजन की कहानी यथासंभव विस्तृत रूप में निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) मृतक परमेश्वर राव, अक्टूबर 1997 से लगभग 2–3 वर्ष पूर्व से साक्षी त्रिनाथ राव (अ.सा.–19) के स्वामित्व वाली जगदलपुर स्थित 'लक्ष्मी ट्रेडर्स' नामक थोक किराना दुकान में मुनीम के रूप में कार्य कर रहा था। फर्म द्वारा उधार बेचे गए माल की कीमत वसूलने के लिए, मृतक अक्सर कांकेर, भानुप्रतापपुर, धमतरी, बिलासपुर और रायपुर जाया करता था, धन एकत्र करता था, उसे जगदलपुर लाता था और फर्म में जमा करता था।

(2) मृतक परमेश्वर राव ने दिनांक 06.10.1997 से 08.10.1997 तक की अपनी यात्रा के दौरान रायपुर, बिलासपुर और धमतरी के विभिन्न दुकानदारों से त्रिनाथ की लक्ष्मी ट्रेडर्स, जगदलपुर नामक को देय कुल 1,07,696/– रुपये की नकद राशि और रायपुर की फर्म लीलाराम दानुमल से 15,300/– रुपये का एक ड्राफ्ट एकत्र किया था। उसने यह सारा पैसा और ड्राफ्ट अपने ब्रीफकेस में

रखा और दिनांक 08.10.1997 को कांकेर लौट आया तथा अभियुक्त जयंत वल्याणी के 'मदर इंडिया लॉज' में रुका। सुरक्षा कारणों से, उसने पैसे और ड्राफ्ट को एक ब्रीफकेस में रखा और उस ब्रीफकेस को अभियुक्त दीपक की दुकान 'विनोद ट्रेडर्स' में रखवा दिया और उसी रात अपने साझेदार त्रिनाथ को फोन पर सूचित किया कि वह 1,06,000/– रुपये नकद और 15,300/– रुपये का ड्राफ्ट एकत्र करने के बाद मदर इंडिया लॉज, कांकेर में रुका हुआ है और दिनांक 09.10.1997 को वह भानुप्रतापपुर जाएगा, शेष राशि एकत्र करेगा और उसी रात जगदलपुर लौट आएगा।

(3) दिनांक 08.10.1997 की रात्रि 9–10 बजे, अभियुक्त दीपक, फैजू, लिक्कू उर्फ लियाकत, रिंकू तथा फरार अभियुक्त अजय, विजय और मनोज मृतक को 'मदर इंडिया लॉज' से आर.ई.एस. कॉलोनी के पीछे वाली पहाड़ी पर ले गए। वहाँ उन्होंने लाठी या चाकू से वार कर और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने पेट्रोल डालकर उसके शव को जला भी दिया। इसके पश्चात सभी अभियुक्त अपने घरों को लौट गए। दिनांक 09.10.1997 को अभियुक्त दीपक ने अपने घर में रखे मृतक के ब्रीफकेस से 1,06,000/– रुपये निकाले और यह सारा धन उपरोक्त सभी अभियुक्तों के बीच बांट लिया गया। खाली ब्रीफकेस, कागजात, मृतक के कपड़े, बैग, ब्रीफकेस की पॉकेट, टूथपेस्ट और मृतक की डायरी को मृत अभियुक्त कुंदन के माध्यम से नथिया गाँव के तालाब और कोसाफार्म के पास जलाकर फेंक दिया गया। दीपक ने ब्रीफकेस में मिले 15,300/– रुपये के ड्राफ्ट को भी फाड़ दिया और उसे भंडारी पारा के किनारे सड़क पर फेंक दिया। उसने अपने हिस्से के 46,000/– रुपये घर पर रखे। उसने अपने भाई विनोद को 6,400/– रुपये और जग्गू, कृष्ण कुमार, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद हनीफ आदि को उनका कर्ज चुकाने के लिए कुल 10,800/– रुपये दिए। इस प्रकार, मृतक के ब्रीफकेस से चोरी किए गए धन में से अभियुक्त दीपक ने कुल 63,200/– रुपये का उपयोग किया। ये राशियाँ बाद में उनसे ज़ब्त कर ली गईं। अभियुक्त दीपक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, ब्रीफकेस से लिया गया 15,300/– रुपये का फटा हुआ ड्राफ्ट भी बरामद किया गया। इस आधार पर, अभियुक्त दीपक को इन अपराधों का दोषी माना जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अभियुक्त फैजू मोहम्मद उर्फ फीजू ने अपराध में प्रयुक्त चाकू को तालाब में फेंक दिया, मृतक की पैंट से निकाले गए पर्स और कागजात अपने घर में रखे, और खून से सने कपड़े अभियुक्त मनोज साहू को दे दिए। उसने हत्या में प्रयुक्त चाकू को जनाब अली के पास सुरक्षित रखा और मृतक की कंघी को मिट्टी में छिपा दिया। अभियुक्त फैजू द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ये सभी वस्तुएं 27.10.1997 को ज़ब्त की गईं। इस चाकू और अभियुक्त मनोज साहू द्वारा फेंके गए कपड़ों के रासायनिक परीक्षण में उन पर रक्त की पुष्टि हुई। दिनांक 27.10.1997 को, अन्य समान वस्तुओं के साथ आयोजित पहचान कार्यवाही के दौरान, साक्षी त्रिनाथ ने फैजू से ज़ब्त किए गए पर्स की पहचान मृतक के रूप में की। इस प्रकार, अभियोजन का दावा है कि फैजू इन अपराधों का दोषी सिद्ध हुआ है।

(5) अभियुक्त मनोज ने हत्या के समय फैजू द्वारा उसे दिए गए खून से सने पैंट और शर्ट को कांकेर के एक तालाब में फेंक दिया था, जिन्हें उसकी निशानदेही पर 29.10.1997 को बरामद किया गया। इस प्रकार, मनोज पर आरोप सिद्ध होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) अभियुक्त लियाकत उर्फ लिक्कू के विरुद्ध अभियोजन का मामला यह है कि उसने इस अपराध से प्राप्त धन में से 4,900/– रुपये अपने घर में रखे थे, जिन्हें 01.11.1997 को उसके घर से उसकी माता से ज़ब्त किया गया था।

(7) अभियुक्त जयंत वल्याणी और उसके लॉज के वेटर भुवनेश्वर साहू के विरुद्ध आरोप यह है कि उन्होंने लॉज रजिस्टर में झूठा उल्लेख करके कि दिनांक 09.10.1997 को मृतक का सिर काट दिया गया था, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दंडनीय अपराध किया है और इस प्रकार अन्य अपराधियों को कथित अपराध के दंड से बचाने का प्रयास किया है।

(8) सभी अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया, किंतु उनमें से किसी ने भी अपने बचाव में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। सभी अभियुक्तों का सामान्य बचाव यह है कि दीपक को संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया था, और शेष अभियुक्तों को दीपक का मित्र होने के कारण, मृतक से लूटा गया धन वसूलने के उद्देश्य से, त्रिनाथ (अ.सा.–19) और उसके भाई प्रभाकर (अ.सा.–8) ने अन्वेषणकर्ता की मिलीभगत से झूठा फंसाया है। इस मामले में सफल होने के लिए, त्रिनाथ ने अपने गृह नगर (150 किमी दूर) से

एक वकील नियुक्त किया, उस वकील से सलाह ली, और स्वयं, अपने भतीजे प्रभाकर और अपने मित्र गोविंद राव को उसकी सलाह के अनुसार गवाही दिलाकर उन्हें दंडित कराने का प्रयास किया।

(9) अभियुक्त कुंदन की मृत्यु हो चुकी थी और चूंकि अभियुक्त उपेन्द्र सुरोजिया, विजय कुमार सोनी और लियाकत उर्फ लिक्कू के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और उन पर केवल मेमोरेंडम (प्रदर्श पी–11) में पुलिस को दिए गए दीपक के कथित कथन के आधार पर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी साक्ष्य द्वारा संपुष्टि नहीं होती है। अतः, विचारण न्यायालय द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है।

(10) जहाँ तक शेष अभियुक्तों, अर्थात् दीपक फबयानी, फैजू मोहम्मद उर्फ फीजू और मनोज साहू, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120–बी/302 और 404 के तहत आरोप लगाए गए थे, तथा अभियुक्त जयंत वल्याणी और उनके लॉज वेटर अभियुक्त भुवनेश्वर साहू, जिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप लगाए गए थे, का संबंध है, जिनके विरुद्ध अभियोजन केवल "पारिस्थितिक साक्ष्य" के आधार पर दोषसिद्धि की मांग कर रहा है, उन्हें भी विद्वान विचारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया है कि अभियोजन अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः, राज्य द्वारा यह दोषमुक्ति अपील दायर की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने प्रबलतापूर्वक तर्क दिया कि दोषमुक्ति का आक्षेपित निर्णय विधि और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की दृष्टि से दोषपूर्ण है; विद्वान विचारण न्यायालय मामले में दर्ज साक्ष्यों का उनके सही और सटीक परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में विफल रहा और प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में अनुमानों और अटकलों का शिकार हो गया। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय पारिस्थितिक साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में विफल रहा और इस प्रकार प्रभाकर (अ.सा.–8) तथा त्रिनाथ (अ.सा.–19) के साक्ष्यों का उनके सही परिप्रेक्ष्य में सराहना न करके प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय यह भी समझने में विफल रहा कि अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के कब्जे से उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर धनराशि, मृतक से संबंधित वस्तुएं, हमले का हथियार और पेट्रोल का केन ज़ब्त किया गया था, जिसे मेमोरेंडम और ज़ब्ती के साक्षी प्रभाकर (अ.सा.–8) के साक्ष्य द्वारा विधिवत पुष्ट किया गया था। इस प्रकार,

विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को उन पर लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित है।

5. दूसरी ओर, संबंधित अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को उचित रूप से दोषमुक्त किया है और इस प्रकार, राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति अपील खारिज होने योग्य है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(3) के तहत राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध एक अपील है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(1) या धारा 378 के तहत अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय न्यायालयों को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय को साक्ष्यों के हाव–भाव को देखने और न्यायालय में, विशेष रूप से साक्षी–कठघरे में उनके आचरण का अवलोकन करने का लाभ प्राप्त था, और यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि उस स्तर पर भी अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार था। संदेह ऐसा होना चाहिए जिसे एक तर्कसंगत व्यक्ति अभियुक्त के दोष के संबंध में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से स्वीकार करे।

8. जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **सी. एंटनी बनाम राघवन नायर**[1] में अभिनिर्धारित किया गया है, जब तक उच्च न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाता कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विधि के विपरीत हैं, वह पूर्णतः भिन्न परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण प्रतिस्थापित नहीं करेगा। साथ ही, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा **रामानंद यादव बनाम प्रभुनाथ झा**[2] में अभिनिर्धारित किया गया है, दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारवान कारण मौजूद हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अतार्किक है और

1 AIR 2003 SC 182
2 AIR 2004 SC 1053

प्रक्रिया में प्रासंगिक एवं ठोस सामग्रियों को अनुचित रूप से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए एक बाध्यकारी कारण है।

9. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों में हस्तक्षेप की व्याप्ति सुस्थापित है। **तोटा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[3] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 6 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> ".....मात्र यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर उस निष्कर्ष से भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रवृत्त है जो निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश में दर्ज किया गया है, दोषमुक्ति को रद्द करने के लिए वैध और पर्याप्त आधार नहीं होगा। दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस सीमा तक प्रतिबंधित है कि जब तक निचली अदालत द्वारा मामले में साक्ष्य के विचार के प्रति अपनाया गया दृष्टिकोण किसी स्पष्ट अवैधता से दूषित न हो या निचली अदालत द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष ऐसा न हो जिस पर तर्कसंगत और न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायालय संभवतः नहीं पहुँच सकता था और इसलिए, उसे विधि के विपरीत के रूप में वर्णित किया जाना अनिवार्य न हो, तब तक दोषमुक्ति के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर दो दृष्टिकोण संभव हों और निचली अदालत ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया हो जो कि एक संभाव्य दृष्टिकोण है, वहाँ अपीलीय न्यायालय कानूनी रूप से दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही उसकी यह राय हो कि साक्ष्य पर विचार करने के बाद निचली अदालत द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की व्याप्ति को नियंत्रित करने वाली विधि को लागू करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम किस्तूरा राम**[4] के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> "8. दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की सीमा अत्यंत सीमित है। जब तक यह न पाया जाए कि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण

3 AIR 1987 SC 1083
4 2022 SCC OnLine SC 984

असंभव या विधि के विपरीत है, तब तक दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं है। इसी प्रकार, यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो केवल इसलिए दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करना अनुमेय नहीं है क्योंकि अपीलीय न्यायालय को दोषसिद्धि का मार्ग अधिक संभावित प्रतीत होता है। हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब अपनाया गया दृष्टिकोण बिल्कुल भी संभव न हो।"

11. **जफरुद्दीन एवं अन्य बनाम केरल राज्य**[5] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

"25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण को एक संभावित दृष्टिकोण कहा जा सकता है, विशेष रूप से जब अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का विश्लेषण किया जा चुका हो। इसका कारण यह है कि दोषमुक्ति का आदेश अभियुक्त के पक्ष में 'निर्दोषिता की उपधारणा' को और सुदृढ़ कर देता है। अतः, अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को उलटने में तुलनात्मक रूप से संयम बरतना चाहिए। इसलिए, अभियुक्त के पक्ष में उपधारणा कमजोर नहीं होती बल्कि और मजबूत होती है। अभियुक्त के पक्ष में मिलने वाली ऐसी 'दोहरी उपधारणा' को केवल स्वीकृत विधिक मापदंडों पर गहन संवीक्षा के माध्यम से ही विचलित किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय या अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय के निर्णय को उलटते समय पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए पूर्णतः सशक्त हैं। अपीलीय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को दोषमुक्त करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आधारों पर चर्चा करे और फिर उन कारणों का खंडन करे।

13. उपरोक्त विधिक सिद्धांतों और प्रस्तावों के प्रकाश में, हमने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण किया है।

---

5 (2022) 8 SCC 440

14. अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल 22 गवाहों का परीक्षण किया है और 50 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेख का अवलोकन किया है।

16. विचारणीय प्रथम प्रश्न यह होगा कि क्या मृतक परमेश्वर राव की मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी?

17. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, विशेष रूप से डॉ. आर.एस. मंडावी (अ.सा.–16) के कथन पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने प्रदर्श पी–42 ए (Ex.P–42A) के माध्यम से मृतक परमेश्वर राव के शव का पोस्टमार्टम किया था, यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक की मृत्यु का कारण मानववध की प्रकृति का था। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष कि मृतक परमेश्वर राव की मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित तथ्य का निष्कर्ष है। यह न तो विधि के विपरीत है और न ही अभिलेख के विपरीत है। हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या चश्मदीद गवाह उपलब्ध नहीं है। अभियोजन का मामला 'पारिस्थितिक साक्ष्य' पर आधारित है। अभियोजन द्वारा जिन पारिस्थितिक साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, वे निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैं:–

(i) अभियुक्त दीपक ने साक्षी दौलत फल्यानी की उपस्थिति में, दिनांक 08.10.1997 को, मृतक का ब्रीफकेस सुरक्षित रखने के लिए प्राप्त किया। उसने वही ब्रीफकेस दिनांक 09.10.1997 को उसी साक्षी की उपस्थिति में मृत अभियुक्त कुंदन को दे दिया।

(ii) दिनांक 08.10.1997 की रात को, अभियुक्त दीपक अन्य अभियुक्तों के

साथ मृतक को 'मदर इंडिया लॉज' से घटना स्थल पर ले गया।

(iii) दिनांक 16.10.1997 को, घटना स्थल पर मृतक का शव हथियार की चोटों के साथ और जली हुई अवस्था में मिला तथा वहां पेट्रोल के केन भी पाए गए।

(iv) दिनांक 09.10.1997 को, अभियुक्त दीपक ने मृतक के ब्रीफकेस से 1,06,000/– रुपये नकद और 15,300/– रुपये का ड्राफ्ट निकाला और ब्रीफकेस को नष्ट करने के लिए मृत अभियुक्त कुंदन को दे दिया।

(v) प्राप्त नकदी में से, अभियुक्त दीपक ने अभियुक्त फैजू, लियाकत और अन्य अभियुक्तों को नकद हिस्सा दिया।

(vi) इस चोरी की गई राशि में से, अभियुक्त दीपक ने अपने घर में एक ब्रीफकेस में 46,000/– रुपये छिपाए थे, जिन्हें उसकी सूचना के आधार पर दिनांक 20.10.1997 को उससे ज़ब्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) अभियुक्त दीपक ने दिनांक 09.10.1997 को ब्रीफकेस से 15,300/– रुपये का ड्राफ्ट निकाला और उसे फाड़कर कांकेर में दूध नदी जाने के रास्ते में फेंक दिया, जिसके टुकड़े उसकी पूर्व सूचना के आधार पर दिनांक 18.10.1997 को उक्त स्थान से ज़ब्त किए गए थे।

(viii) मृतक के ब्रीफकेस से बरामद नकदी में से, अभियुक्त दीपक ने अपने भाई विनोद को 6,400/– रुपये दिए और उसने साक्षी जग्गू, कृष्ण कुमार, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद हनीफ का 10,800/– रुपये का ऋण चुकाया, और इस प्रकार दिनांक 08.10.1997 से 16.10.1997 के बीच 63,200/– रुपये का गबन किया और उक्त राशियाँ इन गवाहों से ज़ब्त की गईं।

(ix) दिनांक 08.10.1997 को घटना स्थल पर जाने के लिए, अभियुक्त दीपक ने साक्षी राजेश की मोटरसाइकिल मांगी और उसे ले गया, जिसे वापस करने के बजाय उसने पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया और फिर इसके बारे में किशोर अश्वनी को सूचित किया और उसके माध्यम से मोटरसाइकिल राजेश को वापस करवाई।

(x) दिनांक 08.10.1997 को अभियुक्त दीपक ने मृत अभियुक्त कुंदन के साथ

मिलकर नथिया नवागाँव में ईशान जंगल और कोसाफार्म के पास मृतक का ब्रीफकेस, बैग, उसमें रखे कागजात और मृतक की पैंट–शर्ट जलवा दी तथा ब्रीफकेस में रखी अन्य वस्तुएं और मृतक की डायरी अभियुक्त कुंदन के माध्यम से जलवा दी; और इसके बारे में पूर्व सूचना देने के बाद, दिनांक 18.10.1997 को अभियुक्त दीपक ने जली हुई अवस्था में सूटकेस और उसमें रखी आधी जली हुई रसीदें, बटन, ताला–चाबी आदि बरामद करवाई।

(xi) अभियुक्त मनोज साहू ने अभियुक्त फैजू की खून से सनी पैंट को तालाब में डुबो दिया और उसे वहां से बरामद करवाया, जिसमें रासायनिक परीक्षण में रक्त पाया गया।

(xii) हत्या कारित करते समय, अभियुक्त फैजू ने अभियुक्त मनोज के माध्यम से मृतक के खून से सने कपड़े प्राप्त किए, जिन पर रक्त की उपस्थिति प्रमाणित है।

(xiii) अभियुक्त फैजू की निशानदेही पर तालाब से लकड़ी का एक फट्टा बरामद किया गया, जिस पर रक्त लगा था। इस अभियुक्त से मृतक का पर्स, उसमें रखे मृतक के कागजात और "लक्ष्मी ट्रेडर्स" का पहचान पत्र भी बरामद किया गया। हत्या में अभियुक्त फैजू द्वारा प्रयुक्त हमलावर हथियार, जो उसने जनाब अली को दिया था, वह भी उसकी पूर्व सूचना के आधार पर दिनांक 29.10.1997 को जनाब अली से ज़ब्त किया गया था, उस पर भी रक्त पाया गया था।

(xiv) मृतक से लूटी गई राशि में से, अभियुक्त फैजू द्वारा दिनांक 10.10.1997 को साक्षी तुलसी को 1,500/– रुपये दिए गए थे, जिन्हें दिनांक 28.10.1997 को तुलसी से ज़ब्त किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[6] के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य के मामलों के न्यायनिर्णयन में ध्यान में रखे जाने वाले कारकों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, जो निम्नानुसार हैं:–

> "(1) वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'स्थापित होनी ही चाहिए', न कि केवल 'हो

6 (1984) 4 SCC 116

सकती हैं';

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के साथ सुसंगत होने चाहिए, अर्थात् उन्हें अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जाना चाहिए;

(3) परिस्थितियाँ निश्चयात्मक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; तथा

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ सुसंगत निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न रहे और यह दर्शाया जाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अब, इस पर विचार किया जाना है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक साक्ष्य का उसके सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया है या नहीं?

21. जहाँ तक बिंदु संख्या (i) का संबंध है, इस संबंध में दौलत फल्यानी का परीक्षण नहीं किया गया था और इस बिंदु पर कोई अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः दिनांक 08.10.1997 को मृतक द्वारा कर्मचारी दीपक के पास ब्रीफकेस रखवाना या अभियुक्त दीपक द्वारा दिनांक 09.10.1997 को इसे मृत कुंदन को दिया जाना सिद्ध नहीं होता है। अतः बिंदु संख्या (i) प्रमाणित नहीं पाया गया है। यहाँ तक कि बिंदु संख्या (ii) पर भी साक्ष्य का एक अंश भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः यह भी सिद्ध नहीं होता है।

22. जहाँ तक बिंदु संख्या (iii) का संबंध है, साक्षियों प्रभाकर (अ.सा.–8), सुरेंद्र रथ (अ.सा.–9) और त्रिनाथ (अ.सा.–19) की निर्विवाद शपथ–पूर्वक गवाही से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि दिनांक 16.10.1997 को, मृतक परमेश्वर राव का शव उक्त घटनास्थल पर घायल और जली हुई अवस्था में मिला था और वहाँ पेट्रोल के केन भी पाए गए थे, अतः बिंदु संख्या (iii) प्रमाणित है।

23. जहाँ तक बिंदु संख्या (iv) से (viii) का संबंध है, इस संबंध में, इस न्यायालय को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या मृतक ने दिनांक 08.10.1997 को 1,06,000/– रुपये और 15,300/– रुपये का एक ड्राफ्ट एकत्र किया था और उसे कांकेर लाया था। इस बिंदु पर एकमात्र साक्ष्य 'लक्ष्मी ट्रेडर्स' फर्म के साझेदार त्रिनाथ का साक्ष्य है कि मृतक ने दिनांक 08.10.1997 को उसे टेलीफोन किया था, और उसे इतनी राशि और ड्राफ्ट के साथ कांकेर आने, नकदी और ड्राफ्ट को ब्रीफकेस में रखने और ब्रीफकेस को अभियुक्त दीपक के पिता के घर पर सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। यह कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत ग्राह्य है। प्रभाकर (अ.सा.–8) की गवाही के अनुसार, त्रिनाथ ने प्रभाकर को इस टेलीफोनिक सूचना के बारे में दिनांक 11.10.1997 को सूचित किया था। हालाँकि, यह पोषक साक्ष्य केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत ग्राह्य है। इस धारा के अंतर्गत, समर्थन में केवल वही कथन स्वीकार किया जा सकता है जो घटना या प्रसंग के घटित होने के समय दिया गया हो। दिनांक 08.10.1997 को प्राप्त टेलीफोनिक सूचना का विवरण तीन दिन बाद दिया जाना निश्चित रूप से उक्त समय सीमा से बाहर है, इसलिए इस बिंदु पर प्रभाकर का कथन विचार किए जाने योग्य भी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इस संदर्भ में, साक्षी त्रिनाथ द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी–45) ग्राह्य है क्योंकि अन्य व्यक्तियों के लिए धारा 157 के तहत निर्धारित समय सीमा सक्षम प्राधिकारी को दी गई सूचना पर लागू नहीं होती है। त्रिनाथ मुख्य रूप से मृतक की तलाश में इसलिए आया था क्योंकि संभवतः मृतक के पास उसकी फर्म के लिए एकत्र किया गया धन था। हालाँकि, प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में उस राशि और ड्राफ्ट की मात्रा का उल्लेख नहीं है जो मृतक अपने साथ लाया था, और न ही यह उल्लेख है कि उसने उन्हें कहाँ रखा था। यदि त्रिनाथ को मृतक द्वारा एकत्र की गई राशि और कांकेर लाए जाने वाले ड्राफ्ट के बारे में 13.10.1997 तक जानकारी प्राप्त हो गई थी, जब उसने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो मृतक द्वारा एकत्र की गई राशि और ड्राफ्ट के बारे में जानकारी का रिपोर्ट (प्रदर्श पी–45) में अभाव होना सामान्य अपेक्षित अभिलेख के अनुरूप नहीं

है, क्योंकि उस समय त्रिनाथ को यह संदेह हो सकता था कि मृतक ने एकत्र की गई राशि का गबन कर लिया है और वह फरार हो गया है। अतः, इस रिपोर्ट के आलोक में, त्रिनाथ का यह असंभाव्य कथन कि मृतक ने उसे रात में रुकने, उक्त ड्राफ्ट एकत्र करने और कांकेर जाने के बारे में सूचित किया था, विश्वसनीय नहीं है। इसलिए, त्रिनाथ का कथन, जो इस संदर्भ में अनुचित रूप से संदेहास्पद है और उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–45) द्वारा भी खंडित होता है, किसी भी संदेह से परे है (अर्थात् अविश्वसनीय है)। यह भी उल्लेखनीय है कि शव की बरामदगी के बाद देहाती नालिश में दिए गए बयान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसका ड्राफ्ट मिला था। फिर भी, त्रिनाथ असत्य का सहारा ले रहा है और यह दावा कर रहा है कि मृतक ने उसे बताया था कि वह रायपुर की लीला राम फर्म से अंबिकापुर का एक बैंक ड्राफ्ट लाया था। प्रदर्श पी–46 के कथन में भी धमतरी, बिलासपुर और कांकेर से की गई वसूलियों का कोई उल्लेख नहीं है। त्रिनाथ (अ.सा.–19) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 23 में आरोप लगाया है कि 16.10.1997 के एक महीने बाद, उसने लीला राम की फर्म को, जिसने ऐसा ड्राफ्ट जारी किया था, सूचित किया कि ड्राफ्ट खो गया है और दूसरे (डुप्लिकेट) ड्राफ्ट का आदेश दिया। यदि ड्राफ्ट 18.10.1997 को फटी हुई अवस्था में प्राप्त हुआ होता, तो त्रिनाथ लीला राम फर्म को इसके खो जाने की सूचना नहीं देता। प्रदर्श पी–46 की देहाती नालिश में उक्त फर्म के ड्राफ्ट का लोप इस बात को और पुष्ट करता है कि त्रिनाथ को 16.10.1997 तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह किसका ड्राफ्ट था। एक महीने बाद ड्राफ्ट की राशि प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा किया गया प्रयास यह संदेह उत्पन्न करता है कि उसे ड्राफ्ट के बारे में 18.10.1997 के काफी समय बाद पता चला होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. अभियुक्त दीपक का यह दावा कि 46,000/– रुपये उसकी निजी संपत्ति थी, उसे गलत नहीं माना जा सकता। अभियुक्त दीपक द्वारा अपने भाई विनोद को 6,400/– रुपये देने या साक्षी जग्गू, कृष्णकुमार, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद हनीफ, मोथ फाल्व आदि को 10,800/– रुपये देने का थोड़ा भी सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं है। जगदीश (अ.सा.–3) ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–10 के अनुसार उससे 1000/– रुपये ज़ब्त किए गए थे, लेकिन दावा किया कि वह राशि उसकी अपनी थी। के. कृष्णकुमार (अ.सा.–5) ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–4 के अनुसार उससे 2600/– रुपये ज़ब्त किए गए थे और दावा किया कि वह राशि उसकी थी। अब्दुल गफ्फार (अ.सा.–5) ने भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–8 के अनुसार उससे 3000/– रुपये ज़ब्त किए गए थे और दावा किया कि वह राशि उसकी निजी संपत्ति थी। फारूक (अ.सा.–7) ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–9 के अनुसार उससे 200/– रुपये ज़ब्त किए गए थे, लेकिन

दीपक से ऐसी राशि प्राप्त करने से इनकार किया। शेख लतीफ (अ.सा.–11) ने यह स्वीकार नहीं किया कि प्रदर्श पी–38 के अनुसार उससे 1000/– रुपये ज़ब्त किए गए थे। साक्षी रमजान अली (अ.सा.–17) ने भी ज़ब्ती मेमो (प्रदर्श पी–44) के अनुसार 700/– रुपये की बरामदगी से इनकार किया है।

26. इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि 08.10.1997 के बाद दीपक द्वारा अभियुक्त फैजू, लियाकत या किसी अन्य अभियुक्त को कोई पैसा दिया गया था। इस प्रकार, बिंदु संख्या (iv), (v), (vii) और (viii) उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुए हैं। बिंदु संख्या (vi) के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह माना कि अभियुक्त दीपक से ज़ब्त किए गए 46,000/– रुपये मृतक से लूटा गया धन नहीं था, बल्कि उसकी अपनी संपत्ति थी।

27. जहाँ तक बिंदु संख्या (ix) का संबंध है, राजेश (अ.सा.–1) और किशोर (अ.सा.–2) के शपथ–पूर्वक कथनों से यह स्पष्ट है कि 1997 की नवरात्रि के दौरान, अभियुक्त दीपक राजेश के पास उसकी मोटरसाइकिल मांगने गया था और बाद में दीपक ने किशोर के माध्यम से मोटरसाइकिल राजेश को वापस करवा दी थी। हालाँकि, यह निश्चित नहीं है कि यह घटना किस तारीख को हुई थी, इसलिए इस बिंदु को भी 08.10.1997 की तारीख से संबंधित सिद्ध नहीं किया जा सकता है। साक्षी प्रभाकर (अ.सा.–8) जैसे सर्वव्यापी और हितबद्ध साक्षी का कथन भी इस बात पर संदेह से परे विश्वसनीय नहीं है कि अभियुक्त दीपक ने अभियुक्त कुंदन के साथ मिलकर मृतक का ब्रीफकेस, बेल्ट, पैंट–शर्ट, डायरी, सूटकेस का आवरण आदि नष्ट कर दिया था। इस प्रकार, बिंदु संख्या (x) भी सिद्ध नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. परिणाम यह है कि अभियुक्त दीपक के विरुद्ध जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उनमें से केवल परिस्थिति (iii) सिद्ध होती है, कि अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा परमेश्वर का शव प्रत्यक्षतः मृत अवस्था में पाया गया था और दिनांक 20.10.1997 को उससे 46,000/– रुपये ज़ब्त किए गए थे। शेष परिस्थितियों में से कोई भी उसके विरुद्ध उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई है।

29. परिणामस्वरूप, चूंकि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि अभियोजन अपना

मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है, सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

30. अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक और सूक्ष्म संवीक्षा करने पर, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं पाता है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 10.04.2003 के द्वारा अभियुक्तों/प्रत्यर्थियों को दोषमुक्त कर दिया था। प्रश्नगत घटना वर्ष 1997 से संबंधित है, और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिका वर्ष 2003 में दायर की गई थी। तत्पश्चात, वर्ष 2010 में अपील स्वीकार की गई थी।

31. इस तथ्य को देखते हुए कि घटना की तिथि से 28 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, और कार्यवाहियों की दीर्घकालिक प्रकृति के साथ–साथ विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जो विधि के विपरीत या प्रत्यक्ष अवैधता से ग्रस्त प्रतीत नहीं होते हैं, यह न्यायालय दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं पाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. तदनुसार, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

33. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु इस निर्णय की प्रमाणित प्रति अभिलेख के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को प्रेषित करे।

सही /– **(बिभु दत्त गुरु)** न्यायाधीश	सही /– **(रमेश सिन्हा)** मुख्य न्यायाधिपति

Head — Note

The scope of interference in an appeal against acquittal is very limited. Unless it is found that the view taken by the Court is impossible or perverse, it is not permissible to interfere with the finding of acquittal.

शीर्ष – टिप्पणी

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप की संभावना अत्यंत सीमित है। जब तक यह न पाया जाए कि न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण असंभव या विधि के विपरीत है, तब तक दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना अनुमेय नहीं है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur